न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

| प्रकरण-पत्र सं. | धारा अंतर्गत | ग्राम | तहसील |
|---|---|---|---|
| 24 | 53,88,89,91,92,92A,188 RTA | सुन्दलक | बारां |

| वादी | वाद शीर्षक | प्रतिवादी |
|---|---|---|
| गिर्राज | बनाम | दीपचन्द |

वकील :- श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी एड0 | **आदेश पत्रक** | वकील:-

| दिनांक | कार्यवाही एवं आदेश | विविध संदर्भ |
|---|---|---|
| 05.07.2024 | अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,89,91,92,92A,188 आर.टी. एक्ट विरूद्व प्रतिवादी के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 13.08.2024 को पेश हो। | |
| 13.8.24 | पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित अर्जीदारी लगी की तलबी हेतु तलबाना पेश करें। पत्रावली वास्ते तलबी रिकॉर्ड 1-10-24 को पेश हो। | |
| 01/10/24 | पीठासीन अधिकारी ... में रहने से पूर्ववत दिनांक 20/11/24 को प्रस्तुत हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां<br>प्रतिवादी क्र. 16 सेवा उपरा। प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार सुमन एड. का वकालतनामा पेश हुआ। शपथ लिया गया। | |
| 20-11-24 | पत्रावली आज पेश हुई। वकील अभिभाषक वादी क्रमांक-1 व 2 जवाब के सम्बन्ध चाहते हैं। वकील वादी शेष प्रतिवादीगण की तलबी हेतु तलबाना पेश करें। पत्रावली वास्ते तलबी। जवाब दिनांक 15-1-25 को पेश हो। | बद्री बाई (प्रति. क्र. 16) |
| 15/01/25 | पत्रावली पेश हुई। वादी के सेवा उपस्थित होकर प्रतिवादी श्री नरेन्द्र कुमार मीणा के वकालतनामा के साथ प्रार्थना पत्र वास्ते प्रकरण को नोट प्रेम किये जाने बाबत पेश किया। जो स्वीकार किया जाकर। शपथ भंग किया गया। चुंगी वाली प्रस्तुत वाद को आगे चले चलाया जाया। अतः इस वाद की स्तर पर नोट प्रेम वादी में लागिल किया जाता है पत्रावली जंगल शुमार होकर बाबत से कम से वाद तहसील आकिलेख से प्रसिद्ध हो आदेश सुनाया गया। | गिर्राज मीणा<br>नरेन्द्र कुमार सोमानी एड. |